

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 29/2018

प्रार्थी

बनाम

अप्रार्थी

1- नरेश व्यास पुत्र शिवरतन
व्यास जाति ब्राह्मण
निवासी एरोज इंडिया,
जालोरीगेट, जोधपुर

1- भारत संघ मार्फत मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय सड़क परिवहन एवं
राजमार्ग मंत्रालय, डी.सी.एम. अजमेर
रोड़, जयपुर।

2-परियोजना निदेशक एवं अधिशाषी
अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण
विभाग, राष्ट्रीय उच्च मार्ग 65, पाली
(खण्ड पाली)

3- अपर जिला कलक्टर (तृतीय)
जोधपुर एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी,
जोधपुर।

आर्बीट्रेशन आवेदन अन्तर्गत धारा 3 जी (5), राष्ट्रीय
राजमार्ग अधिनियम, 1956 (प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर
187/3 रकबा 0.01106 हेक्टर ग्राम भाकरासनी तहसील
लूणी जिला जोधपुर में से अवाप्त भूमि 0.01106 हेक्टर
के मुआवजे के अवार्ड में ब्याज राशि दिलाने बाबत)

उपस्थिति :-

दिनांक : 26.08..2019

1. श्री प्रदीप स्वामी अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष)
2. श्री महेन्द्र छंगाणी अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष 2, 3)
3. श्री दयाराम चौधरी मार्फत बी.पी. बोहरा अधिवक्ता (अप्रार्थी संख्या 1)

पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक: NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीपक्ष की ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर स्थित भूमि ख.नं. 187/3 रकबा 0.01106 हेक्टर भूमि को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर- पाली खण्ड) के जोधपुर जिले के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) हेतु अर्जन करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 03.08.2013 एवं 3डी की अधिसूचना दिनांक 05.05.2014 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आमंत्रित किये गये उक्त एवार्ड के विरुद्ध प्रार्थीपक्ष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका 7349/2018 पेश कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन, और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा गणना करने की इस्तदुआ की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रिट याचिका निस्तारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत गणना करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा उक्त अधिनियम, 2013 के तहत गणना कर दिनांक 23.06.2017 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया जिसमें प्रार्थी को धारा 3 (डी) दिनांक 05.05.2014 से लेकर संशोधित अवार्ड जारी करने तक का ब्याज नहीं दिया गया, जिससे व्यथित होकर आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र पेश किये गये।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर (29/2018) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र छंगाणी ने वकालतनामा एवं दिनांक 17.12.18 को जबाब पेश किया। अप्रार्थी-1 की ओर से श्री बी.पी. बोहरा ने दिनांक 01.04.19 को प्रारम्भिक आपत्तियां का प्रार्थना पत्र एवं दिनांक 23.07.2019 को जबाब पेश किया।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई :-

1. भारत का राजपत्र में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 05.05.2014 धारा 3डी के तहत जारी हुई, की फोटो प्रति।
2. कार्यालय सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर-तृतीय जोधपुर का कार्यालय आदेश दिनांक 23.06.2017 की फोटो प्रति।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर से एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3237/2018 प्रदीप कुमार जैन बनाम भारत संघ व अन्य तथा संलग्न अन्य सिविल रिट याचिकाएं निर्णय दिनांक 01.08.2018 की फोटो प्रति।

अप्रार्थीपक्ष की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए।

अप्रार्थीपक्ष 2 व 3 की ओर से जबाब में बतलाया कि प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6 व 7 में अंकित तथ्यों के संबंध में किसी प्रकार की टिप्पणी किय जाने की आवश्यकता नहीं है। जबाब में अग्रे कहा कि मोर्थ भारत सरकार नई दिल्ली की गाईड लाईन NH-11011/30/2015-LA दिनांक 28.12.2017 के बिन्दु संख्या 4.4 के अनुसार RFCTLARR Act, 2013 व N.H. Act, 1956 के अन्तर्गत भूमि की गई अवाप्ति हेतु मुआवजा निर्धारण हेतु प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ शड्यूल ही लागू है, जो इस प्रकार है "However, since the date of application of the selected relevant provisions of the RFCTLARR Act, 2013 to the N. H. Act, 1956 was 01-01-2015 in terms of the ordiance (Amendment)No. 9 of 2014. It remains an unambiguous and accepted position that the provision of the Right of fair Compensation and Transparency in Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 relating to the determination of compensation in accordance with the first Schedule. Rehabilitation and resettlement in accordance with the Second Schedule and infrastructure amenities in accordance with the Third Schedule have been made applicable to all cases of land acquisition under the N.H. Act, 1956 i.e. the enactment specified at Sr. 7 in the Fourth Schedule of the RFCTLARR Act, with effect from 01-01-2015" तथ्यों एवं एक्ट 2013 की अन्य कोई धारा लागू नहीं है। गाईड लाईन बिन्दु 5 के अनुसार एक्ट 2013 की धारा

30(3) के अनुसार 12 प्रतिशत ब्याज दिया गया है इस तथ्य को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की एस.बी. सिविल रिट याचिका सं० 11688/2016 विकास कन्सट्रक्शन कं. बनाम भारत संघ वगैरा में अपने निर्णय दिनांक 22.01.2018 में भी माना है। अन्त में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर विधि अनुसार आदेश जारी करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थी-1 की ओर से दिनांक 01.04.19 को प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति में जाहिर किया कि माध्यमस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अनुरूप अप्रार्थीपक्ष को प्रार्थीपक्ष की ओर से विवादित बिन्दु बाबत् नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है अतः इसके आज्ञापक नोटिस के अभाव में यह कार्यवाही अवैध है। अप्रार्थीपक्ष की ओर से लिखित बहस में बतलाया कि धारा 21 में स्पष्ट किया कि " जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में माध्यमस्थम् कार्यवाहियां उस तारीख को प्रारम्भ होगी, जिसको उस विवाद को माध्यमस्थम् को निर्देशित करने के लिए अनुरोध प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है। " जहां पक्षकारान की सहमति नहीं होने पर माध्यमस्थता का विवाद की कार्यवाही जिस दिन नोटिस प्राप्त करने वाले को दावेदार से नोटिस प्राप्त करने लिए अनुरोध प्राप्त होता है, शुरू करने की तारीख होगी। माध्यमस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के प्रावधान आज्ञापक है तथा नोटिस की छूट नहीं दी जा सकती है। अतः प्रारम्भिक आपत्तियां का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं प्रार्थीपक्ष को समुचित निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष-एक की ओर से दिनांक 23.07.19 को जबाब पेश हुआ जिसमें बतलाया गया कि सक्षम प्राधिकारी ने RFCTLARR Act, 2013 की अनुसूचित प्रथम के अनुरूप सही ढंग से मुआवजा तय किया गया। हालांकि यह स्पष्ट किया गया है कि अधिनियम, 2013 की धारा 105 में मात्र अनुसूचि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ में संशोधन के आधार पर जहां 1956 का अधिनियम लागू किया गया, 2013 के अधिनियम के अन्य कोई प्रावधान लागू नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा प्रथम अवॉर्ड अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार घोषित किया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति को अधिनियम, 2013 की अनुसूचि प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ के अनुरूप पुनः एवार्ड जारी करने के निर्देशित किया गया जिसकी अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति द्वारा अधिनियम 2013 की प्रथम अनुसूचि के अनुसार अवॉर्ड जारी किया गया तथा तोषण राशि (Soleitium Amount) एवं एवार्ड घोषित होने की दिनांक तक 12 प्रतिशत ब्याज दिया गया। जबाब में आगे कहा कि RFCFTLARR Act, 2013 की धारा 30 के

अनुसार ब्याज अवॉर्ड जारी करने या कब्जा प्राप्त करने जो भी पहले हो, देय होता है। अन्त में प्रार्थी का आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने की प्रार्थना की।

दिनांक 05.08.2019 को प्रार्थी के अधिवक्ता एवं अप्रार्थीपक्ष-1 के अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी मार्फत श्री बी.पी. बोहरा एवं अप्रार्थीपक्ष 2, 3 के अधिवक्ता श्री महेन्द्र छंगाणी उपस्थित। अतः उपस्थित अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बतलाया प्रार्थीपक्ष की ग्राम भाकरासनी तहसील लूणी जिला जोधपुर स्थित भूमि ख.नं. 187/3 रकबा 0.01106 हेक्टर भूमि को भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 65 (जोधपुर- पाली खण्ड) के जोधपुर जिले के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने आदि) हेतु अर्जन करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 03.08.2013 एवं 3डी की अधिसूचना दिनांक 05.05.2014 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आमंत्रित किये गये उक्त एवार्ड के विरुद्ध प्रार्थीपक्ष द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल रिट याचिका पेश कर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा गणना करने की इस्तदुआ की गई। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय रिट याचिका निस्तारित करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत गणना करने हेतु निर्देशित किया गया जिसकी अनुपालना में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा उक्त अधिनियम, 2013 के तहत गणना कर दिनांक 23.06.2017 को संशोधित अवार्ड जारी किया गया जिसमें प्रार्थी को धारा 3 (डी) दिनांक 05.05.2014 से लेकर संशोधित अवार्ड जारी करने तक का ब्याज नहीं दिया गया।

बहस में आगे बतलाया कि प्रार्थी की भूमि का कब्जा एन.एच.ए.आई. एक्ट की धारा 3डी के तहत लेने की तारीख से बढ़ा हुआ मुआवजा यानि संशोधित एवार्ड राशि का मुआवजा जारी करने की दिनांक तक का ब्याज एक्ट 2013 के अनुसार नहीं देने पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर ने उक्त सिविल रिट याचिका सं0 7349/2018 का निस्तारण दिनांक 01.08.2018 को करते हुए प्रार्थी को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3जी(5) के तहत आर्बीट्रेशन के समक्ष जाने का आदेश दिया गया अतः उनकी पालना में ब्याज राशि दिनांक 05.05.2014 से दिनांक 23.06.

2017 में संशोधित अवार्ड राशि जारी करने तक का ब्याज पाने का अधिकारी है अन्त में आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की।

अप्रार्थीपक्ष 1 की ओर से श्री बी.पी. बोहरा अधिवक्ता के मार्फत श्री दयाराम चौधरी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी सं० 2, 3 के अधिवक्ता श्री महेन्द्र छंगाणी ने अवगत कराया कि उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत जबाब को ही बहस समझी जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का भी अध्ययन किया। प्रार्थना पत्र का गुणवगुण निर्णय करने से पूर्व अप्रार्थीपक्ष-1 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपतियां का प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.19 का निस्तारण करना आवश्यक समझते हैं। अप्रार्थी-1 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.19 को प्रार्थना पत्र में मुख्यरूप से यह प्रारम्भिक आपत्ति पेश करते हुए जाहिर किया गया कि माध्यमस्थ और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 21 के अनुरूप अप्रार्थीपक्ष को प्रार्थीपक्ष की ओर से विवादित बिन्दु बाबत् नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है अतः इसके आज्ञापक नोटिस के अभाव में यह कार्यवाही अवैध है। प्रार्थना पत्र में कहा गया कि धारा 21 में स्पष्ट किया कि " जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो, किसी विशिष्ट विवाद के संबंध में माध्यमस्थम् कार्यवाहियां उस तारीख को प्रारम्भ होगी, जिसको उस विवाद को माध्यमस्थम् को निर्देशित करने के लिए अनुरोध प्रत्यर्थी द्वारा प्राप्त किया जाता है। " अतः जहां पक्षकारान की सहमति नहीं होने पर माध्यमस्थता का विवाद की कार्यवाही जिस दिन नोटिस प्राप्त करने वाले को दावेदार से नोटिस प्राप्त करने लिए अनुरोध प्राप्त होता है, शुरू करने की तारीख होगी।

यद्यपि प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र का जबाब पेश नहीं किया गया, परन्तु प्रार्थीपक्ष के कथनानुसार पूर्व में विवादित बिन्दु बाबत् माननीय राज. उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की गई जो दिनांक 01.08.18 को निस्तारित करते हुए प्रार्थीपक्ष को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(5) के तहत आर्बीट्रेटर के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश करने का निर्देश दिया गया तथा उसी निर्णय की अनुपालना में यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी-1 द्वारा प्रार्थीपक्ष की ओर से धारा 3जी(5), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रारम्भिक आपत्तियां प्रस्तुत की गई, जो लागू नहीं होती है। धारा 21 के तहत नोटिस में मध्यस्थ की नियुक्ति पर सहमति बनाने की सुविधा प्रदान करने का उद्देश्य है, परन्तु विवादित भूमि के प्रकरण का पहले से ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रेफरेंस से यह प्रकरण प्रस्तुत हुआ है। द्वितीयत् राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (G)

की उप धारा 5 के तहत केन्द्रीय सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांक NHAI / LA / Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को आर्बीट्रेटर नियुक्त किया गया है, ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में मध्यस्थता कार्यवाही वैधानिक मध्यस्थता की प्रकृति में है और इस कार्यवाही के लिए पक्षकारान के बीच किसी भी समझौता/अनुबंध से उत्पन्न नहीं हुई। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अप्रार्थीपक्ष-एक की ओर से माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम की धारा 21 के तहत आज्ञापक नोटिस नहीं दिया जाना प्रारम्भिक आपत्ति की गई, वो स्वीकार योग्य नहीं होने से उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 01.04.2019 को निरस्त किया जाता है।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र में मुख्य कथन यही है कि प्रार्थी को ब्याज राशि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D की अधिसूचना दिनांक 05.05.2014 से संशोधित अर्बोर्ड जारी दिनांक 23.06.2017 तक दिये जाने की इस्तदुआ की गई। अधिनियम की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार— The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

- (a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;
- (b) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;
- (c) the damage, if any, sustained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;
- (d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर तृतीय जोधपुर द्वारा संशोधित जारी अर्बोर्ड दिनांक 23.06.17 (माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 5613/16 कुन्दन मल गांधी व अन्य 50 प्रकरणों में पारित आदेश दिनांक 27.03.2017 की पालना में) अन्तर

राशि का पारित किया गया, जिसमें धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 का गजट नोटिफिकेशन का प्रकाशन दिनांक 03.08.2013 से पूर्व में जारी अवॉर्ड दिनांक 27.08.2015 तक 755 दिन का 12 प्रतिशत वार्षिक दर से अधिनिर्णित किया गया।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.12.2017 दिशा निर्देश जारी हुए, जिनमें बिन्दु संख्या— 4.6—(iii) के अनुसार दिनांक 01.01.2015 से भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की अनुसूचि प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के प्रावधान राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 पर लागू होना बतलाया गया।

बिन्दु संख्या—5 में बाजार मूल्य के अतिरिक्त 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने बाबत स्पष्ट किया गया कि अवाप्त की जानी वाली भूमि के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3A के तहत जारी गजट अधिसूचना का प्रकाशन की तिथि से धारा 3G के तहत जारी अवॉर्ड या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर संगणित रकम अधिनिर्णित करने को कहा गया है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 30(3) में भी स्पष्ट किया गया कि " धारा 26 के अधीन उपबंधित भूमि के बाजार मूल्य के अतिरिक्त, कलक्टर प्रत्येक मामले में उस भूमि के बाबत ऐसे बाजार मूल्य पर धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन की अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही प्रारम्भ होने वाली और कलक्टर के निर्णय की तारीख तक या भूमि का कब्जा लेने की तारीख तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, की अवधि के लिए 12 प्रतिशत की दर संगणित रकम अधिनिर्णय करेगा। "

प्रस्तुत प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं अपर जिला कलक्टर (तृतीय) जोधपुर द्वारा प्रथम बार अवार्ड दिनांक 27.08.2015 को जारी किया गया तथा इसके पश्चात् कब्जा लिया जाकर दिनांक 21.06.16 को मुआवजा की राशि का चैक भी सुपुर्द किया जा चुका है, परन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में RFCTLARR Act, 2013 के प्रावधानों के तहत प्रश्नगत भूमि का मुआवजा अधिनियम की धारा 3A के तहत जारी गजट अधिसूचना का प्रकाशन की तिथि 03.08.2013 से पूर्व में जारी अवार्ड दिनांक 27.08.2015 की अवधि तक 12 प्रतिशत वार्षिक दर से संगणित करते हुए मुआवजा अन्तर राशि का संशोधित आदेश दिनांक 23.06.2017 को पारित किया गया, जो विधिसम्मत है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग

अधिनियम की धारा 3D के तहत जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से संशोधित एवार्ड जारी करने की दिनांक 23.06.2017 तक ब्याज संगणित करने का न्यायसंगत नहीं होने से आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है, परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है। खर्चा उभय पक्षकारान अपना-अपना वहन करे।